

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/विविध-01-106/2017

/स्वा0, पटना, दिनांक / /2019

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) कार्यक्रम का संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, (राज्य स्वास्थ्य समिति), शेखपुरा, पटना में विभागीय आदेश संख्या 752(3) दिनांक 19.09.2018 से प्रतिनियुक्त चिकित्सकों के संबंध में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के पत्रांक 253 दिनांक 18.02.2019 के आलोक में :-

(क) निम्नांकित प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना में 31.12.2019 तक विस्तारित की जाती है:-

क्र० सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अभ्युक्ति
1	2	3
1	डा० मो० रिजवान अहमद, चिकित्सा पदाधिकारी, गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना ।	-
2	डा० संजीव रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, छपरा ।	

(ख) बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति में प्रतिनियुक्त निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाती है:-

क्र० सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अभ्युक्ति
1	2	3
1	डा० हरिनारायण सिंह, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना	चिकित्सक अतिलम्ब अपने मूल पदस्थापन स्थान पर योगदान करेंगे ।
2	डा० अवध कुमार, अपर मुख्य मलेरिया पदाधिकारी एवं एपिडेमियोलॉजिस्ट (सांख्यिकी), मुख्य मलेरिया कार्यालय, बिहार, पटना ।	
3	डा० वरुण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, नवगछिया, भागलपुर	

2

कृ०प०उ०.....

(ग) निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति में दिनांक 31.12.2019 तक के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अभ्युक्ति
1	2	3
1	डा० अरशद अयूब, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल, चकिया (पूर्वी चम्पारण)	1. चिकित्सा पदाधिकारी अपने मूल पदस्थापन स्थान से वेतनादि भुगतान प्राप्त करेंगे ।
2	डा० ब्रज भूषण शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, हाजीपुर (वैशाली)	2. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त स्थल के लिए तुरत विरमित कर देंगे ।

2. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

ह०/-

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :

469(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक :

5/4/19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना/सारण (छपरा)/भागलपुर/तिरहुत/अपर निदेशक-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (भेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम), मुख्य मलेरिया कार्यालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/सारण (छपरा)/भागलपुर/मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/हाजीपुर (वैशाली)/कोषागार पदाधिकारी, पटना/सारण (छपरा)/भागलपुर/मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/हाजीपुर(वैशाली)/अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, नवगछिया, भागलपुर/ सिविल सर्जन, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/हाजीपुर (वैशाली) /पटना/छपरा (सारण)/भागलपुर/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, छपरा (सारण)/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : विभागीय प्रशाखा-2, 3, 9, एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

5.4.2019

सरकार के संयुक्त सचिव